

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 159] नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 4, 1978/श्रावण 13, 1900
No. 159] NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 4, 1978/SRAVANA 13, 1900

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation.

बाणिज्य, नागरिक आपूर्ति एवं सहकारिता मंत्रालय
(बाणिज्य विभाग)

निर्यात व्यापार नियंत्रण

सार्वजनिक सूचना सं० 51-ईसीओ(पी एन)/78

नई दिल्ली, दिनांक 4 अगस्त, 1978

विषय—खुले सामान्य लाइसेंस-3 के अंतर्गत आसमती बाजार का नियंत्रण
मिसिल सं० 40/8/77-ई 2.—उपर्युक्त विषय पर भारत के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित
किए गए नियंत्रित (नियंत्रण) गरीबों के आदेश सं० ई(सी) ओ, 1977/ए एम(66) दिनांक 4 अगस्त,
1978 की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

2 स्थिति की पुनरीक्षा करने पर, यह निष्कर्ष किया गया है कि आसमती बाजार के नियंत्रित
की अनुमति न्यूनतम निर्यात कीमत के अधीन दी जाएगी। निर्यात सीमा पुस्तक, 1978-79 के

पृष्ठ 15 पर खण्ड 2 की तम संख्या 20 के सामने नीति विवरण में कालम 3 में प्रविष्टि सं० 2 के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी :—

“2. बासमती चावल की निम्नलिखित किस्मों के निर्यात की अनुमति खुले सामान्य लाइसेंस-3 के अन्तर्गत निम्नलिखित अनुसार प्रत्येक के सामने यथा उल्लिखित न्यूनतम निर्यात कीमत (जहाज पर्यन्त मिश्रण) के अधीन दी जाएगी :—

	न्यूनतम निर्यात कीमत (जहाज पर्यन्त मिश्रण) (रु० में)
1. पाशिल किया हुआ बासमती चावल	5,500 रु० प्रति टन
2. भूसी उतारा हुआ, पाशिल न किया हुआ चावल	5,000 रु० प्रति टन
3. पेशी चावल	4,000 रु० प्रति टन

का० जे० शेषाद्री, मुख्य नियंत्रक, आयात निर्यात

MINISTRY OF COMMERCE, CIVIL SUPPLIES & CO-OPERATION

(Department of Commerce)

EXPORT TRADE CONTROL

PUBLIC NOTICE NO. 51-ETC(PN)/78

New Delhi, the 4th August, 1978

Subject:—Export of Basmati Rice under O.G.L.3.

No. 40/8/77-EII.—Attention is invited to Exports (Control) Amendment Order No.E(C)O,1977/AM(66) dated the 4th August, 1978, published in the Gazette of India Extraordinary, on the above subject.

2. On a review of the position, it has been decided to allow export of Basmati Rice subject to minimum export price. The entry No.2 in column 3 in the Policy Statement against S.No. 20 of Section II of the Export Policy Book, 1978-79, at page 15 thereof, shall be substituted as under:—

“2. Export of the following varieties of Basmati Rice is allowed under OGL-3 subject to minimum export price (FOB) as mentioned against each, as under:

	Minimum export price (FOB) (in Rs.)
1. Polished Basmati Rice	5,500 per tonne.
2. Dehusked non-polished rice	5,000 per tonne.
3. Paddy Rice	4,000 per tonne”.

K. Y. SESHADRI,

Chief Controller of Imports & Exports